**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1081**

**दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**समय पर उपचार और दावों की प्रतिपूर्ति**

**†1081. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश के संबंध में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) देश में इसकी स्थापना से लेकर अब तक वर्ष-वार, राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के संबंध में जिला-वार कितने उपचार अनुरोध प्राप्त हुए हैं और कितने को अनुमोदित किया गया है;
(ग) राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के संबंध में जिला-वार कितने दावे प्रस्तुत किए गए हैं और कितने दावों की प्रतिपूर्ति की गई है;
(घ) प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने वाले अस्पतालों की राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के संबंध में जिला-वार संख्या कितनी है और कितने दावों की प्रतिपूर्ति की गई है;
(ङ) क्या दावा प्रसंस्करण, अनुमोदन अथवा प्रतिपूर्ति में विलंब देखा गया है;
(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार औसतन कितना समय लगा, विलम्ब से किए गए दावों की संख्या, विलंब के कारण और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और
(छ) क्या समय पर उपचार और प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (छ): देशभर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के विभिन्न अपर निदेशक कार्यालयों के अंतर्गत पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में पैनलबद्ध एचसीओ का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

कार्यरत लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटान संबंधित प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। पेंशनभोगी लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटान सीजीएचएस द्वारा किया जाता है। सीजीएचएस के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों के दौरान पेंशनभोगी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (पीओआरबी) मद के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण **अनुलग्नक-3** में संलग्न है।

लाभार्थी, दावा प्रस्तुत किए जाने के समय सृजित दावा पहचान संख्या का उपयोग करते हुए, सीजीएचएस के वेब पोर्टल तथा माइसीजीएचएस 2.0 मोबाइल एप के माध्यम से अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की स्थिति का ऑनलाइन अवलोकन कर सकते हैं।

सीजीएचएस ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (एमआरसी) शिकायतों तथा अन्य संबंधित मामलों की निगरानी हेतु सीजीएचएस के एचएमआईएस मॉड्यूल में समर्पित डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किए हैं। सभी अपर निदेशकों, आरोग्य केन्द्रों के सीएमओ तथा अन्य संबंधित हितधारकों को इन डैशबोर्डों तक पहुँच प्रदान की गई है, ताकि समग्र प्रगति, कुल प्राप्त दावों, दावों के औसत निस्तारण समय तथा अन्य संबंधित मानकों की नियमित निगरानी की जा सके।

इसके अतिरिक्त, सीजीएचएस में शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था उपलब्ध है:

- **सीजीएचएस शिकायत पोर्टल।**
- **सीपी-ग्राम।**
- **टोल-फ्री हेल्पलाइन एवं ई-मेल:** प्रत्यक्ष सहायता के लिए लाभार्थी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा **cghs-helpdesk@lsmgr.nic.in** पर हेल्पडेस्क को ई-मेल भेज सकते हैं।
- **स्थानीय समितियाँ एवं शिकायत पेटिकाएँ:** आरोग्य केन्द्रों पर वास्तविक शिकायत पेटिकाएँ उपलब्ध हैं तथा नियमित रूप से आयोजित स्थानीय सलाहकार समिति (एलएसी) एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति (जेडएसी) की बैठकों के दौरान भी शिकायतें एवं समस्याएँ बताई जा सकती हैं।

**अनुलग्नक-1**

## देश भर में अपर निदेशक, सीजीएचएस कार्यालयों के अधीन पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या

| क्र.सं. | अपर निदेशक कार्यालय, सीजीएचएस | पैनलबद्ध एचसीओ की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 47 |
| 2. | बेंगलुरु | 60 |
| 3. | भोपाल | 84 |
| 4. | भुवनेश्वर | 12 |
| 5. | चंडीगढ़ | 171 |
| 6. | चेन्नई | 65 |
| 7. | देहरादून | 43 |
| 8. | दिल्ली एनसीआर | 924 |
| 9. | गुवाहाटी | 18 |
| 10. | हैदराबाद | 128 |
| 11. | जबलपुर | 57 |
| 12. | जयपुर | 151 |
| 13. | कानपुर | 72 |
| 14. | कोलकाता | 57 |
| 15. | लखनऊ | 86 |
| 16. | मेरठ | 60 |
| 17. | मुंबई | 102 |
| 18. | नागपुर | 101 |
| 19. | पटना | 51 |
| 20. | प्रयागराज | 92 |
| 21. | पुणे | 49 |
| 22. | रांची | 31 |
| 23. | शिलांग | 08 |
| 24. | तिरुवनंतपुरम | 37 |

**अनुलग्नक-2**

**आंध्र-प्रदेश में पैनलबद्ध एचसीओ का जिला-वार विवरण**

| **आंध्र प्रदेश के जिले** | **पैनलबद्ध एचसीओ की संख्या** |
|---|---|
| पूर्वी गोदावरी | 03 |
| गुंटूर | 03 |
| कृष्णा | 02 |
| एनटीआर | 11 |
| श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 05 |
| तिरुपति | 02 |
| विशाखापत्तनम | 20 |
| **कुल** | **46** |

**अनुलग्नक-3**

**पिछले पाँच वर्षों में सीजीएचएस द्वारा पेंशनभोगी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (पीओआरबी) शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण**

| **वर्ष** | **पीओआरबी व्यय** (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 2021-22 | 2741.17 |
| 2022-23 | 4630.68 |
| 2023-24 | 4282.72 |
| 2024-25 | 5645.97 |
| 2025-26 | 6144.17 |

*****